पत्र सं0–टी0आर0यू0/पंजीयन वृद्धि 3rd पार्टी डाटा /2019–20/103 /वाणिज्य कर।
कार्यालय:: कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
(टी0आर0यू0)
लखनऊ:: दिनांक,23 दिसम्बर, 2019

जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
जोन–गाजियाबाद–प्रथम/द्वितीय, नोएडा,
मेरठ, मुरादाबाद, उ0प्र0।

विषयः– जी0एस0टी0 पंजीयन बेस में वृद्धि हेतु 3rd पार्टी डाटा संकलन–हिन्दुस्तान कोका कोला।

उ0प्र0 राज्य में जी0एस0टी0 पंजीयन बेस में वृद्धि हेतु स्थित कार्ययोजना मुख्यालय के परिपत्र सं0–व्यापारी पंजीयन/ज्वाइण्ट कमिश्नर (GST)/2019–20/732/वणिज्य कर, दिनांक 22.11.2019 से जारी की गयी थी। इस कार्ययोजना द्वारा प्रदेश की सभी नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों, नगर निगमों तथा 2000 से अधिक जनसंख्या की ग्राम पंचायतों एवं अन्य प्रमुख बाजारों में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों की टीम द्वारा भ्रमण करके पंजीकृत एवं अपंजीकृत व्यापारियों से डाटा संकलित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त जी0एस0टी0 पंजीयन बेस में वृद्धि के उद्देश्य से सभी वि0अनु0शा0 इकाईयों को विभिन्न राजकीय विभागों से 3rd पार्टी डाटा संकलित करने के निर्देश दिये गये हैं।

i. उक्त अभियान के क्रम में TRU, मुख्यालय द्वारा ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्पोरेट सर्किल) जोन– प्रथम, गाजियाबाद के सहयोग से सर्वश्री हिन्दुस्तान कोका–कोला लि0 की सप्लाई चेन में शामिल पश्चिमी उ0प्र0 के 10 जनपदों (बागपत–मेरठ, बुलन्दशहर–गाजियाबाद–हापुड़, मुजफ्फरनगर–सहारनपुर–शामली, गौतमबुद्धनगर तथा बिजनौर) के कुल 25816 अपंजीकृत व्यापारियों की सूची संकलित की गयी है। इस सूची में अपंजीकृत फर्म/व्यापारी का नाम तथा पूर्ण पता अंकित है। मुख्यालय स्तर पर इस सूची को जनपदवार संकलित किया गया है।

ii. सर्वश्री हिन्दुस्तान कोका–कोला लि0 सप्लाई चेन में शामिल अपंजीकृत व्यापारियों द्वारा निश्चित रूप से कोका–कोला की बिक्री के साथ–साथ रेस्टोरेन्ट, मिठाई, कन्फेक्शनरी, जनरल मर्चेन्ट, पान–मसाला, टी–स्टॉल आदि का व्यवसाय किया जाना भी संभावित है।

iii. आपके जोन के अधिक्षेत्र के जनपदों से सम्बंधित व्यापारियों की जनपदवार एक्सेल शीट आपकी मेल आई0डी0 पर प्रेषित की जा रही है कि अपने स्तर पर इस शीट को खण्डवार वर्गीकृत कराकर सम्बंधित खण्ड की भ्रमण टीमों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Scanned by CamScanner

iv. उपरोक्तानुसार चिन्हित खण्डवार सूची के साथ भ्रमण टीमों द्वारा मौके पर भ्रमण करके सूची में अंकित अपंजीकृत व्यापारियों की व्यापारिक स्थिति का आंकलन किया जायेगा तथा परिपत्र सं0–व्यापारी पंजीयन/ज्वाइण्ट कमिश्नर (GST)/2019–20 /732/वणिज्य कर, दिनांक 22.11.2019 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। इस सूची में अंकित व्यापारियों के व्यापार स्थलों के भ्रमण के उपरांत ऑनलाइन प्रारूप–II तथा II-A में फीडिंग के समय टीम प्रभारी की टिप्पणी में Reference HQ – Hindustan Coca-Cola अवश्य अंकित किया जायेगा। यदि विभागीय भ्रमण टीम द्वारा सूची में अंकित व्यापारियों के व्यापार स्थलों का भ्रमण पूर्व में किया जा चुका है तो ऐसे मामलों में व्यापार स्थल का पुनः भ्रमण किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पूर्व में किये गये भ्रमण के समय पाये गये तथ्यों के आधार पर इन मामलों में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। यह प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त जोनल कार्यालय के स्तर पर एक्सेल शीट में प्रत्येक मामलें में Eligible for Registration or not अंकित करते हुए समेकित विवरण TRU मुख्यालय को ई–मेल आई0डी0– tru.comtaxup@gmail.com के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

कमिश्नर,

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

Scanned by CamScanner